इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड

[सीआईएन: L74899DL1999PLC101534]

डिविडेंड डिस्ट्रिब्शून नीति

यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी विनियम) के प्रावधानों के अनुसार इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा डिविडेंड के डिस्ट्रिब्शून पर लागू होती है।).

नीति को 31 जुलाई, 2019 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अपनाया गया है और यह सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।

परिभाषाएं

पॉलिसी में उल्लिखित शर्तों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है।

पृष्ठभूमि

सेबी ने 8 जुलाई, 2016 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम जारी किया है, जिसमें विनियमन 43 ए - डिविडेंडडिस्ट्रिब्शून नीति को शामिल किया गया है, जिसके आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं की आवश्यकता होती है। डिविडेंडडिस्ट्रिब्शून नीति तैयार करने के लिए बाजार पूंजीकरण (पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना) जिसका खुलासा उनकी वार्षिक रिपोर्ट और उनकी वेबसाइटों पर किया जाएगा।

यह नीति उन मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपने शेयरधारकों को डिविडेंडके डिस्ट्रिब्शून का निर्धारण करने और/या डिविडेंडके माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के उद्देश्यों को संतुलित करते हुए कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को बनाए रखने में ध्यान में रखा जाएगा। और कंपनी के विकास में निवेश करने के लिए पूंजी बनाए रखना। असाधारण परिस्थितियों में निदेशक मंडल इस नीति में सूचीबद्ध मापदंडों से विचलित हो सकता है।

यह पॉलिसी अंतरिम डिविडेंडऔर अंतिम डिविडेंडसहित सभी प्रकार के डिविडेंडको कवर करेगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

a. शेयरधारक डिविडेंड की उम्मीद कर भी सकते हैं और नहीं भी:

कंपनी उन प्रासंगिक वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी जो डिविडेंडया बरकरार रखी गई कमाई की घोषणा के संबंध में कंपनी पर लागू होती हैं। आम तौर पर, बोर्ड कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, कार्यकारी प्रबंधन की सलाह और इस नीति में वर्णित अन्य मापदंडों को ध्यान में रखने के बाद एक विशेष अवधि के लिए डिविडेंडका निर्धारण करेगा।

b. डिविडेंड घोषित करते समय जिन फाइनैंशियल/इंटर्नल मापदंडों पर विचार किया जाएगा:

कंपनी का निदेशक मंडल डिविडेंड की घोषणा करते समय या शेयरधारकों को डिविडेंड की सिफारिश करते समय निम्नलिखित वित्तीय मापदंडों पर विचार करेगा:

पूंजी आवंटन योजनाएं जिनमें शामिल हैं:

- कार्यशील पूंजी, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे आदि में पूंजीगत व्यय के लिए कंपनी की अपेक्षित नकदी आवश्यकताएं;
- कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निवेशकंपनी की रणनीति का;

- किसी भी अधिग्रहण के लिए आवश्यक धनराशि जिसे निदेशक मंडल अनुमोदित कर सकता है;
- सहायक कंपनियों और बाहरी व्यवसायों में नया निवेश; और
- कोई भी शेयर पुनर्खरीद योजना।

- न्यूनतम नकदीआकस्मिकताओं या अप्रत्याशित घटनाओं के लिए आवश्यक;
- किसी भी बकाया ऋण की अदायगी के लिए आवश्यक धनराशि;
- तरलता और रिटर्न अनुपात;
- कोई औरमहत्वपूर्ण विकास जिनमें नकद निवेश की आवश्यकता होती है।

c. डिविडेंडकी घोषणा के लिए जिन बाहरी कारकों पर विचार किया जाएगा:

कंपनी का निदेशक मंडल डिविडेंडघोषित करते समय या शेयरधारकों को डिविडेंडकी सिफारिश करते समय निम्नलिखित बाहरी मापदंडों पर विचार करेगा::

- भारत या जिन भौगोलिक क्षेत्रों में कंपनी संचालित होती है, या कंपनी या उसके ग्राहकों के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले व्यापक-आर्थिक वातावरण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- जिन भौगोलिक क्षेत्रों में कंपनी संचालित होती है उनमें कोई भी राजनीतिक, कर और विनियामक परिवर्तन;
- व्यवसाय या तकनीकी वातावरण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को अपने व्यवसाय मॉडल में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश करना पड़ा;
- प्रतिस्पर्धी माहौल में किसी भी बदलाव के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।

d. परिस्थितियाँ जिनके तहत डिविडेंडका भुगतान नहीं किया जा सकता है:

कुछ संभावित परिस्थितियाँ जिनके तहत शेयरधारक डिविडेंडकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं:

- प्रतिकूल बाज़ार परिस्थितियाँ और व्यावसायिक अनिश्चितता;
- वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ की अपर्याप्तता;
- नकद शेष की अपर्याप्तता; और
- बड़ी आगामी पूंजी आवश्यकता जिसे आंतरिक स्रोतों के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से वित्त पोषित किया जाता है ; वगैरह।

e. बरकरार रखी गई कमाई का उपयोग कैसे किया जाएगा, इसके बारे में नीति:

कंपनी द्वारा अर्जित समेकित लाभ को या तो व्यवसाय में रखा जा सकता है या उपरोक्त खंड (बी) में उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है या इसे शेयरधारकों को वितरित किया जा सकता है।

f. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में प्रावधान:

इस नीति में शामिल प्रावधान कंपनी के सभी वर्गों के शेयरों पर लागू होंगे। गौरतलब है कि कंपनी ने वर्तमान में केवल एक ही वर्ग के शेयर जारी किए हैं, अर्थात् इक्विटी शेयर।

समीक्षा

बोर्ड द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इस नीति की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

परिसीमा एवं संशोधन

अधिनियम या सेबी विनियम या किसी अन्य वैधानिक अधिनियम ("विनियम") और इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, विनियम इस नीति पर प्रभावी होंगे। इस संबंध में विनियमों में कोई भी आगामी संशोधन/संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।